प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रभारी प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग –1

देहरादून : दिनांक 24 जून 2011

विषय :– उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अधीनस्थ अभियंत्रण सेवा विनियमावली, 2011 के प्रख्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 380 / मु0अ0(मु0)सेवा विनियमावली, दिनांक 05.07.2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अधीनस्थ अभियंत्रण सेवा विनियमावली, 2011 की अनुमोदित प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त विनियमावली के प्रख्यापन की कार्यवाही करते हुये प्रख्यापित विनियमावली की एक प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– यथोपरि।

भवदीय,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव।

733

मु.अ.(मु.)

P.A. to CE (H.Q)

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of "The Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. / Dated for general information.

Uttarakhand Peyjal Sansadhan Vikash Evam Nirman Nigam
No. 764/twenty nine (1)/2011-(33 esta.)/2007
Dehradun: Dated: 24 June, 2011

Notification

In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) and (2) of section 97 of the Uttarakhand (the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975) Adaptation and Modification Order, 2002, in suppersession of the all existing order and regulations in this regard, the Uttarakhand Peyjal Sansadhan Vikash Evam Nirman Nigam regularized the following regulations for recruitment and the condition of service of persons appointed to the posts of subordinate Engineering Services with the prior approval of the State Government :

The Uttarakhand Peyjal Sansadhan Vikash Evam Nirman Nigam Subordinate Engineering Service Regulations, 2011

PART-1

General

Short title and commencement 1. (1) These regulations may be called the Uttarakhand Peyjal Sansadhan Vikash Evam Nirman Nigam Subordinate Engineering Service Regulation, 2011.

(2) They shall come into force at once.

Status of Service 2. The service of Uttarakhand Peyjal Sansadhan Vikash Evam Nirman Nigam Subordinate Engineering service is a such service which comprising of Group "C" Posts.

Definitions 3. In these regulation unless there in anything repugnant in the subjects or context-

(1) "Constitution" means "the Constitution of India".

(2) "**Citizen of India**" means, a person, who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of "the Constitution of India;"

(3) "**State Government**" means the State Government of Uttarakhand;

(4) "**Governor**" means the Governor of Uttarakhand;

(5) "**Nigam**" means the Uttarakhand Peyjal Sansadhan Vikash Evam Nirman Nigam;

(6) "**Chairman**" means the Chairman of the Uttarakhand Peyjal Sansadhan Vikash Evam Nirman Nigam;

(7) "**Managing Director**" means Managing Director of the Uttarakhand Peyjal Sansadhan Vikash Evam Nirman Nigam;

(8) "**Chief Engineer**" means Chief Engineer (Headquarter), Regional Chief Engineer, Pauri/ Nainital and Chief Engineer (Construction) Dehradun, Uttarakhand Peyjal Sansadhan Vikash Evam Nirman Nigam;

(9) "**Appointing Authority**" means the Chief Engineer (Headquarter);

(10) "**Selection Committee**" means Selection Committee constituted by the Nigam;

(11) "**Member of Service**" means a person substantively appointed under these regulations or the rule or order in force prior to the commencement of these regulations;

(12) "**Substantive Appointment**" means an appointment not being *an adhoc* appointment on a post in the cadre of the Service, made after selection in accordance with the rules and, if there is no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instruction issued by the Government.

(13) "**Direct Recruitment**" means recruitment specified by regulations 5;

(14) "**Service**" means the Uttarakhand Peyjal Sansadhan Vikash Evam Nirman Nigam Engineering Service;

(15) "**Year of recruitment**" means a period of twelve months

commencing from the First day of July of a calendar year;

(16) "Region" means the office of Superintendent Engineer/ General Manager, Uttarakhand Peyjal Sansadhan Vikash Evam Nirman Nigam;

(17) "Branch/Unit" means office of the Executive Engineer, Uttarakhand Peyjal Sansadhan Vikash Evam Nirman Nigam;

(18) "Retrench Employee" means -

(i) whose serve continuous atleast one year minimum duration service on any permanent, temporary, substantive posts under the rule making powers of the Governor;

(ii) whose removal or may be removed to the reason of binding or lack of establishment;

(iii) a retrench employees certificate issued in favour of by the appointing authority but on the basis of *an adhoc* employed any employee is not including under this provision.

PART-II

Cadre

Cadre of Service

4. (1) The pay scale of various posts in the cadre of service shall be determined from time to time.

(2) Applicable pay scale/number of posts on the commencement of this regulations be given in **annexure 'B'** :

Provided that –

(a) the Nigam may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without there by entitling any person to compensation; or

(b) the Nigam may create such additional permanent or temporary post by name with the prior approval of the State Government as he may consider proper.

PART-III

Recruitment

Source of Recruitment

5. (1) Additional Assistant Engineer – Promotion on the posts of Additional Assistant Engineer shall be made on the basis of seniority rejection of unfit amongst such substantively appointed Junior Engineers, who have completed five years service as such.

(2) **Junior Engineer**— By direct recruitment. Three years Diploma in Civil/Electric/Mechanical Engineering from any Institution established by Law in India or recognized Institutions.

(3) Recruitment on the posts in service shall be made according the procedure given in the part-5 of this regulations by the appointing authority :

Provided that the appointing authority under the specified standard as deemed fit by the State Government for only one time against the vacant posts of direct recruitment may make absorption from substantively appointed on the posts of Junior Engineers on deputation in the Nigam on the date of regularization of this regulations and who has continuous service from the date of deputation and hold the education qualifications of the post

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories of the State of Uttarakhand shall be in accordance with orders of the Government in force at the time of recruitment.

PART-IV

Qualifications

Nationality

7. A candidates for direct recruitment to a post in the Service must be;

(a) a citizen of India;

(b) a Tibetan refugee, who came over to India before January 01.1962 with the intention of permanently settling in India, or

(c) a person of Indian origin, who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, or any of the East African countries of

Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government :

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a Certificate of eligibility granted by the Inspector General of Police, Intelligence Bureau of Uttarakhand:

Provided also that if a candidate belongs to category (c), no Certificate of eligibility will be issued for a period of more than One year and the retention of such a candidate in Service beyond the period of One year shall be subject to his acquiring Indian Citizenship.

NOTE- A candidate in whose case a Certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused may be admitted to an Examination or Interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary Certificate being obtain by him or issued in his favour.

Age 8. A candidate for direct recruitment to the posts in the service must have attained the minimum age of 21 years but not have attained more than 35 years of age in the selection year:

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the scheduled Cast, Scheduled Tribes and such other categories to the State of Uttarakhand, as may be notified by the Government from time to time, shall be grater by such number of years as may be specified.

Character 9. (1) The character of a candidate for direct recruitment to a post in Service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The appointing authority shall, satisfy itself on this point

(2) A candidate for direct recruitment to a post in service must be required produce a character certificate from the Head of the education institutions, where he got education on last time and two Gazette Officers of State or Central Government, who is not relatives.

NOTE- Person dismissed by the Union Government or any State Government or by Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the Service. Person convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Physical and Mental Fitness

10. (1) No candidate shall be appointed to a post in the service unless he is in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties.

(2) Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required to produce a Medical fitness certificate of Chief Medical Officer of the Headquarter or that District which is residence or which is appointed. The fee of fitness test and expenditure relative to attained the Chief Medical Officer shall be afforded by the candidate. No claim shall be admissable for refund of this fees :

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

Technical Qualifications

11. (1) On the posts of Junior Engineer (Civil) shall be recruited from such persons, who have following minimum qualifications :-

(a) 03 years Diploma in Civil Engineering from any recognized Institutions or University established by Law in India ;

(2) On the posts of Junior Engineer (Electrical /Mechanical) shall be recruited from such persons, who have following minimum qualifications :-

(a) 03 years Diploma in Electrical/Mechanical Engineering from any recognized Institutions or University established by Law in India.

Preferential Qualifications

12. A candidate, who has -

(a) served in the Territorial Army for a minimum period of two years; or

(b) obtained a 'B' Certificate of National Cadet Corps.

shall other thing being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

Marital Status

13. A male candidate, who has more than one wife living or a female candidate, who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the Service;

Provided that the Nigam may, If satisfied that there exist special reason for doing so, exempt any person from the operation this regulation.

PART-V

Procedure for Recruitment

Determination of vacancies

14. The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for the candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories to the State of Uttarakhand, under regulation 6.

Procedure of Recruitment

15. (1) For permission of the admission in competitive examination an application form shall be invite in prescribed form published in advertisement issued by the Nigam

(2) No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission, issued by the Nigam.

(3) A Selection Committee shall be constituted by the appointing authority for the purpose of direct recruitment which comprises

(a) Chief Engineer (Headquarter) -- Chairman

(b) General Manager (Administration) - Member

(c) General Manager (Ground water/ survey) -- Member

(d) Executive Engineer (Personnel) - Convener.

If no officer is not available of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes in above Committee, then the appointing authority shall nominate a member from such community which posts shall not be lower then level one.

(4) The Committee may conduct written examination with the prior approval of the State Government through such any institutions, who is competent for conduct the competitive examination --

(a) The Nigam shall published form of applications for direct recruitment in two daily newspapers having wide circulation;

(b) the Appointing Authority shall invite the applications for direct recruitment in the form published under sub-regulation (1) and notify the vacancies --

(i) by issuing advertisement in two daily newspapers having wide circulation ;

(ii) by pasting the notice on the notice board of the office or by advertising through Radio/ Doordarshan and other Employment newspaper ; and

(iii) by notifying the vacancies to the Employment-Exchange.

(5) The application form shall not be published again while notifying the vacancies under sub-regulation (2).

(6) The syllabus regarding competitive examination shall be specified by the Nigam with the prior approval of the Government. For whole one year 05 marks and maximum 15 marks shall be awarded to the retrench employee in the service.

(7) While evaluating the question paper one mark shall be awarded for each correct answer and 1/4 negative mark for each incorrect answer.

(8) (i) A candidates shall be permitted to carry back the question Booklet with them after the examination;

(ii) after the written examination, the Answer Key of the written examination shall be displayed on the Uttarakhand website;

(iii) after the declaration result of selection shall be displayed on the Uttarakhand website;

(iv) written examination, interview and other evaluation which is preference marks is given for retrench employee, shall be added. So on the basis of obtained total marks, the final selection list shall be prepared. In case two or more candidates obtain equal marks then the candidate senior in age shall be placed higher in the select list;

(v) A candidate shall be appointed for first 03 years in the remote areas in the first appointment according Annexure 'A'

(9) after the marks obtained by the candidate in the written test and interview have been tabulated, the Nigam shall having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes in accordance with regulation 6 call for interview in such number of candidate as on the result of the written examination have come upto the standard fixed by the committee in this respect. The marks awarded to each candidate in the interview shall be added to the marks obtained by him in the written test.

(10) The selection committee shall prepare a list of candidate in order of merit as disclosed by aggregate of marks obtained by them in the written test and interview and recommend such number of candidate as shall be deemed proper. If two or more candidates obtained equal marks, the candidate obtaining higher marks in the written examnition shall be placed higher in the list. The number of the names in the list shall be more (but not more than 25 per cent) than the number of vacancies.

Fees 16. The Candidate shall pay such fee to the Nigam for direct recruitment in service as determined by the Nigam for time to time. The candidate in same pattern shall pay such determined fees to the Chief Medical Officers of the District regarding obtaining the medical certificate. No claim shall be admissible for refund the fees.

PART-VI

Appointment, Probation, Confirmation and Seniority

Appointment 17. The Appointing Authority shall make the appointments by taking the name of candidates in the order, in which they stand in the list prepared under regulation 15.

Promotion 18. (1) Recruitment by promotions shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit in accordance with regulation 15.

(2) The appointing authority shall prepare an eligibility list of the candidates and place it before the selection committee alongwith there character roles and such other records pertaining to them, as may be considered proper.

(3) The selection committee shall consider the candidate on the basis of there records refer to in sub-regulation (2); and

(4) The selection committee shall prepare a list of officers on the basis of seniority and forward to the appointing authority.

Probation 19. (1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted :

Provided that have in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extend period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his sustentative post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer, who is reverted or whose services are dispensed with under sub-regulation (3) shall not be entitled to any compensation.

Confirmation

20. (1) A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation of the extended period of probation, if -

(a) his work and conduct are repeated to be satisfactory;

(b) his integrity is certified;

(c) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

(d) he has successfully undergone the prescribed training.

Seniority

21. (1) If two or more persons are appointed together, by such order, in which their names are arranged in the appointments order, the seniority of persons in the posts shall be determined form the date of the orders of appointed :

Provided that if the appointment order specifies a particular back date with effect from which a person substantively appointed, that date, will be deemed to be the date of order of substantive appointment and, in other case, it will mean the date of issue of the order :

Provided further that if more than one orders of appointment are issued in respect of any one selection the seniority shall be as mentioned in the combined order of appointment issued under regulation 15.

(2) On the date of regularization of this regulation if any person appointed against the vacant posts of the Nigam then such person

Joshi

shall be placed below of the members of cadre on the time of appointment There *inter se* seniority shall be in order of substantively appointed on his prior posts Namely who is appointed substantively prior shall be senior. If two or more persons are substantively appointed together, who will senior in the age shall be placed higher in seniority.

Part - VII

Pay etc.

Scale of Pay

22\. (1) The scale of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Nigam with the prior approval of the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of commencement of these rules shall be, as indicated at **Annexure "B".**

Pay during probation

23\. A person on probation, if he is not already in permanent Nigam service, shall be allowed minimum pay of post in first year and increments shall be allowed when the increment may be admissible.

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment, until the appointing authority otherwise given instructions.

PART - VIII

Other Provisions

Canvassing

24\. No recommendation either written or oral other than those required under this regulation applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist suppon directly or indirectly for this candidature will disqualify him for appointment.

Security of State	25.	Notwithstanding anything contained in these regulations where Governor is being satisfied that in the interest of security or internal security of the State, removal of services of any officer or employee of Jal Nigam (whether permanent or temporary) is expedient without any investigation or direction to give the Nigam for removal or dispensed from service of any officer or employee, then the Nigam shall be dispense of the service of that person and such officer or employee shall not be entitled for any compensation for removal of this services.
Relaxation from the conditions of service	26.	Where the Nigam is satisfied that the operation of any regulation regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes under hardship in any particular case it may notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order dispense with or relax the requirement of that regulations to such extent and subject to such condition, it may consider necessary for dealing with case in a just an equitable manner.

Annexure 'A'

[See clause (v) of sub-regulation (8) of regulations 15]

Remote areas

District Head Quarter/Head office/ Regional Chief Engineer Office		District Head Quarter/Tahsil Block	
Accessible	Remote	Accessible	Remote
1. Dehradun			1. Chakrata (Purori)
2. Haridwar			
3. New Tihri		1. Chamba	1. Devprayag
		2. Muni ki Reti	2. Ghansali (Pratapnagar)
4. Nainital		1. Haldwani	
		2. Ramnagar	
5. Udham Singh Nagar		1. Kashipur	
		2. Rudrapur	
6. Almora		1. Ranikhet (Tarikhet)	1. Bhikiyasen
7.	Pauri	1. Srinagar	
		2. Kotdwar	
8.	Uttarkashi		
9.	Chamoli	1 Gopeshwar	
10.	Rudraprayag		
11	Pithoragarh		1 Didihat
			2 Gangolihat
12.	Bageshwar		
13.	Champavat		1 Lohaghat

Annexure 'B'

[See sub-regulation (2) of regulation 4and sub-regulation (22) 2 of regulation 22]

S. No.	Post of Name	Pay Scale	Number of posts
1	Junior Engineer (Civil)	9300-34800 + 4200 Grad Pay	133
2	Junior Engineer (Ele./Mech.)	9300-34800 + 4200 Grad Pay	19
3	Additional Assistant Engineer (Civil)	9300-34800 + 4800 Grad Pay	396
4	Additional Assistant Engineer (Electrical/Mechanical)	9300-34800 + 4800 Grad Pay	54
	Total		602

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
संख्या 764/उन्तीस(1)/2011-(33 अधि0)/2007
देहरादून: दिनाँक 24 जून, 2011

अधिसूचना

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 की धारा 97 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (ग) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस विषय में विद्यमान समस्त आदेशों एवं विनियमों का अतिक्रमण करते हुए तथा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा में पदों पर भर्ती तथा उन पर नियुक्त व्यक्तियों के वेतन एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियमावली विनियमित करता है :—

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली, 2011

भाग–एक

सामान्य

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस विनियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली 2011 है।
(2) यह तुरन्त पवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा एक ऐसी सेवा है, जिसमें समूह ग के पद समाविष्ट है।

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस विनियमावली मे --
(1) "संविधान" से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है,
(2) "भारत का नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो "भारत का संविधान" के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाये,
(3) "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है,
(4) "राज्यपाल" [illegible]

(5) "निगम" से उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अभिप्रेत है;

(6) "अध्यक्ष" से अध्यक्ष, ~~उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन~~ विकास एवं निर्माण निगम अभिप्रेत है;

(7) "प्रबन्ध निदेशक" से प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अभिप्रेत है;

(8) "मुख्य अभियन्ता" से मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, पौड़ी/नैनीताल एवं मुख्य अभियन्ता (निर्माण) देहरादून उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अभिप्रेत है;

(9) "नियुक्ति प्राधिकारी" से मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) अभिप्रेत है;

(10) "चयन समिति" से निगम द्वारा गठित चयन समिति अभिप्रेत है;

(11) "सेवा का सदस्य" से इस विनियमावली के या इस विनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(12) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो;

(13) "सीधी भर्ती" से विनियम 5 द्वारा विहित भर्ती अभिप्रेत है;

(14) "सेवा" से उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा अभिप्रेत है;

(15) "भर्ती का वर्ष" से किसी चयन वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है;

(16) "मण्डल" से उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम का अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक कार्यालय अभिप्रेत है;

(17) "शाखा/इकाई" से उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम का अधिशासी अभियन्ता कार्यालय अभिप्रेत है.

(18) "छंटनीशुदा कर्मचारी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है -

(एक) जिसने राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद पर स्थायी, अस्थायी रूप में मौलिक रूप में कम से कम एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए निरन्तर सेवा की हो,

(दो) जिसे अधिष्ठान में कमी या उसका परिसमापन किये जाने के कारण सेवा से अवमुक्त किया गया हो या किया जा सकता है;

(तीन) जिसके सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छंटनीशुदा कर्मचारी होने का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो, किन्तु इसके अन्तर्गत तदर्थ आधार पर नियोजित कोई कर्मचारी सम्मिलित नहीं है।

भाग--दो

संवर्ग

सेवा का संवर्ग — 4. (1) सेवा के संवर्ग में विभिन्न पदों का वेतनमान समय-समय पर अवधारित किया जायेगा।

(2) इस विनियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान/पदों की संख्या परिशिष्ट 'ख' में दी गई है :

परन्तु यह कि :-

(क) निगम इस संवर्ग मे किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड सकता है या आस्थगित रख सकता है, जिसके लिए कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा; तथा

(ख) निगम संवर्ग मे ऐसे पदनाम सहित अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से कर सकता है, जिन्हे वह आवश्यक समझे।

भाग-तीन

भर्ती

भर्ती का स्रोत — 5. (1) अपर सहायक अभियन्ता :- अपर सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता में से, जिन्होंने इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, ज्येष्ठता के आधार पर अनपयुक्त को छोड़ते हुए की जायेगी।

(2) कनिष्ठ अभियन्ता :- सीधी भर्ती द्वारा। किसी मान्यता प्राप्त संस्था या भारत मे विधि द्वारा स्थापित सिविल इंजीनियरिंग/विद्युत/यांत्रिक में 03 वर्ष का डिप्लोमा।

(3) सेवा में पदों पर भर्ती, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस विनियमावली के भाग पांच में दी गयी प्रकिया के अनुसार की जायेगी।

परन्तु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी, विनियमावली के विनियमन के दिनांक को निगम में प्रतिनियुक्ति पर तैनात मौलिक रूप से नियुक्त [illegible] अभियन्ताओं, जो प्रतिनियुक्ति की तारीख से निरन्तर कार्यरत हो,

और पद की शैक्षिक अर्हता धारित करते हो, का संविदियत निर्धारित मानकों के अन्तर्गत, जैसा की राज्य सरकार द्वारा अवधारित करेगी, केवल एक बार के लिए सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरुद्ध कर सकेगा।

आरक्षण 6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समय, प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग—चार

अर्हताएं

राष्ट्रीयता 7. सेवा में भर्ती के लिए या आवश्यक है कि अभ्यर्थी :—

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थाई रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफरीका के देशों केनिया, युगान्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो :

परन्तु उपयुक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति हो जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के पश्चात् सेवा में तभी रहने दिया जा सकता है जब कि वह भारतीय नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी —ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इनकार किया गया हो निगम द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है या उसके मामले में ऐसी शर्तें [illegible]

करने का विनिश्चय करें, नियुक्ति के लिये विचार किया जा सकता है और उसे इस शर्त के अधीन अनन्तिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी किया जाये।

आयु

8. सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु, भर्ती के चयन वर्ष की पहली जुलाई को 21 वर्ष से कम व 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये :

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति आदि के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये, अधिकतम आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

चरित्र

9. (1) नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये, जिससे कि वह सेवा मे नियोजन के लिये, सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्त प्राधिकारी, इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

(2) सीधी भर्ती हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये, यह आवश्यक होगा कि वह अपने चरित्र के सम्बन्ध मे उस शिक्षण–संस्था के प्रधानाचार्य, जिससे उसने अन्तिम बार शिक्षा पाई हो तथा राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार के दो राजपत्रित–अधिकारियों, जो उसके रिश्तेदार न हो, के प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे।

टिप्पणी:– केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण मे किसी स्थानीय प्राधिकारी, निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति, सेवा मे किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति भी नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शारीरिक और मानसिक स्वस्थता

10. (1) किसी भी ऐसे व्यक्ति को सेवा मे सदस्य के रूप मे तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे सेवा के सदस्य के रूप मे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो।

(2) किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से [illegible]

जाने के पूर्व, उससे अपेक्षा की जायेगी कि वह उत्तराखण्ड राज्य के मुख्यालय या उस जिले, जिसका वह निवासी हो अथवा जिसमें वह नियुक्त हो, के मुख्य चिकित्साधिकारी का स्वास्थ्य-प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे। स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क तथा मुख्य चिकित्साधिकारी के सम्मुख उपस्थित होने सम्बन्धी व्यय होगा, उसे अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जायेगा। इस शुल्क की वापसी हेतु, कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थियों से स्वस्थता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नही की जायेगी।

प्राविधिक अर्हता 11. (1) कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर केवल ऐसे व्यक्तियों की भर्ती की जायेगी, जिनके पास निम्नलिखित न्यूनतम अर्हता हो --

(क) किसी मान्यता प्राप्त संस्था या भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग मे 3 वर्षीय डिप्लोमा।

(2) कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत / यॉत्रिक) के पदो पर केवल ऐसे व्यक्तियो की भर्ती की जायेगी, जिनके पास निम्नलिखित न्यूनतम अर्हताएं हों--

(क) किसी मान्यता प्राप्त संस्था या भारत मे विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया विद्युत / यॉत्रिक इंजीनियरिंग मे 3 वर्षीय डिप्लोमा।

अधिमानी अर्हतायें 12. ऐसे अभ्यर्थी को, अन्य बातो के समान होने पर, सीधी भर्ती के मामले मे अधिमानता दी जायेगी; जिसने --

(1) दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक प्रादेशिक सेना मे सेवा की हो, या

(2) उसने राष्ट्रीय-कैडेट-कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

वैवाहिक प्रास्थिति 13. ऐसा पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों, सेवा म किसी पद पर नियुक्ति का पात्र न होगा। ऐसी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो भी नियुक्ति की पात्र न होगी

परन्तु यह कि निगम किसी भी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकता है यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है।

भाग—पांच

भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

14. नियुक्ति प्राधिकारी, वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और विनियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

भर्ती की प्रक्रिया

15. (1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र निगम द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसके पास निगम द्वारा जारी किया गया प्रवेश—पत्र न हो।

(3) सीधी भर्ती के प्रयोजन से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, एक चयन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होगें :—

(क) मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)	—	अध्यक्ष
(ख) महाप्रबन्धक (प्रशासन)	—	सदस्य
(ग) महाप्रबन्धक (भूजल / सर्वेक्षण)	—	सदस्य
(घ) अधिशासी अभियन्ता (कार्मिक)	—	संयोजक

उक्त में से यदि कोई अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का अधिकारी नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसे समुदाय के सदस्य को, जिसका पद एक स्तर से निम्न का न हो, नामित किया जायेगा।

(4) समिति किसी भी ऐसी संस्था, जो कि प्रतियोगितात्मक परीक्षा कराने हेतु सक्षम हो, से राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से लिखित परीक्षा आयोजित करा सकेगी।.

(क) सीधी भर्ती करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारुप, निगम द्वारा ऐसे न्यूनतम दो दैनिक समाचार—पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो प्रकाशित किया जायेगा।

(ख) नियुक्ति प्राधिकारी, निम्नलिखित रीति से सीधी भर्ती के लिए आवेदन- पत्र उपविनियम (1) में प्रकाशित प्रारुप पर आमंत्रित करेगा और रिक्तियाँ अधिसूचित करेगा -

(एक) ऐसे दैनिक समाचार—पत्रों में जिसका व्यापक परिचालन हो विज्ञापन जारी करके,

(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चस्पा कर या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार–पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके, और

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियाँ अधिसूचित करके।

(5) उपविनियम (2) के अधीन रिक्तियां अधिसूचित करते समय आवेदन–पत्र का प्रारूप पुनः प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

(6) प्रतियोगिता परीक्षा से सम्बन्धित पाठ्य विवरण निगम द्वारा शासन की पूर्वानुमति से विहित किया जायेगा। छंटनीशुदा कर्मचारियों को सेवा में प्रत्येक एक पूर्ण वर्ष के लिए 05 अंक एवं अधिकतम 15 अंक दिये जायेंगे। प्रवीणता सूची लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों व अन्य मूल्यांकनों के योग के आधार पर तैयार की जायेगी।

(7) प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

(8) (एक) अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा की प्रश्न पत्र परीक्षा के पश्चात ले जाने की अनुमति दी जायेगी;

(दो) लिखित परीक्षा के पश्चात लिखित परीक्षा की उत्तरमाला उत्तराखण्ड की वेबसाइड पर प्रकाशित की जायेगी;

(तीन) चयन का परिणाम घोषित करने के पश्चात् उत्तराखण्ड की वेबसाईड में डाला जायेगा;

(चार) लिखित परीक्षा साक्षात्कार और अन्य मूल्यांकनों जिसमें छंटनीशुदा कर्मचारियों हेतु अधिमान अंक दिये गये है, को जोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार प्रप्त अंको के कुल योग के आधार पर अन्तिम चयन सूची तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी ने बराबर–बराबर अंक प्राप्त किये हों तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की सख्या रिक्तियों की सख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनाधिक) होगी;

(पांच) अभ्यर्थी को परिशिष्ठ 'क' के अनुसार प्रथम नियुक्ति में 5 वर्ष हेतु दुर्गम क्षेत्र में तैनात किया जायेगा। ।

(9) लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के पश्चात् अन्तिम चयन का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारिणीबद्ध कर लिया जाने के पश्चात् नियम विनियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों [illegible]

अभ्यर्थियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करेगा, जो इस संबंध में निर्धारित स्तर तक पहुंच सके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदान किये गये अंकों को लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त किये गये अंको से जोड़ा जायेगा।

(10) निगम अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझे, संस्तुत करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी।

फीस 16. अभ्यर्थी, सेवा में सीधी भर्ती के लिये, निगम को ऐसी फीस का भुगतान करेगा जो निगम द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये। इसी प्रकार जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थी निर्धारित फीस का भुगतान करेगा। फीस की वापसी हेतु कोई दावा स्वीकार नही किया जायेगा।

भाग–छः

नियुक्ति, परिवीक्षा और स्थायीकरण

नियुक्ति 17. रिक्तियो पर नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों को विनियम 15 के अधीन तैयार की गयी सूची में दिये गये क्रमानुसार, नियुक्ति करेगा।

पदोन्नति 18. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को छोडकर ज्येष्ठता के आधार पर विनियम 15 के अधीन गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी और उनकी चरित्र पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी, जो उचित समझे जाये।

(3) चयन समिति द्वारा उपविनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार किया जायेगा और यदि वह आवश्यक समझे तो उसके द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी किया जा सकता है; और

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगी।

परिवीक्षा

19. (1) सेवा के किसी पद पर मौलिक रूप से किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाये :

परन्तु यह कि अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यह परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों को पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यह उसका किसी पद पर धारणधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपविनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाये किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

स्थायीकरण

20. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त मे स्थायी कर दिया जायेगा; यदि –

(क) उसका कार्य तथा आचरण संतोषजनक रहा हो,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी गयी हो,

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया हो कि वह स्थायीकरण के लिये अन्यथा उपयुक्त है;

(घ) उसने विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया

ज्येष्ठता

21. (1) यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी जिसमें उनके नाम उसकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये जाते हैं :

परन्तु यह कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश का दिनांक माना जायेगा तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा :

परन्तु यह और कि यदि चयन के पश्चात् किसी के संबंध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किए जाते हैं तो ज्येष्ठता वह होगी, जो विनियम 17 के अधीन जारी किये गये संयुक्त नियुक्ति आदेश में उल्लिखित है।

(2) इस विनियमावली के विनियमित होने के दिनांक को प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत व्यक्ति को इस निगम में रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्त करने की दशा में ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति के समय संवर्ग के सदस्यों के नीचे रखा जायेगा। उनकी परस्पर ज्येष्ठता उनकी पूर्व पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त होने के क्रम में रहेगी अर्थात् जो मौलिक रूप से पहले नियुक्त हुआ वह ज्येष्ठ होगा। यदि दो व्यक्ति एक ही दिनांक को मौलिक रूप से नियुक्त हों तो जो आयु में ज्येष्ठ होगा उसे ज्येष्ठता में ऊपर रखा जायेगा।

भाग—सात

वेतन आदि

वेतनमान

22. (1) सेवा के किसी संवर्ग में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा निगम द्वारा सरकार की अनुमति से समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस विनियमावली के प्रवृत्त होने के समय वेतनमान परिशिष्ट 'ख' में दिए गए हैं।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

23. परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से निगम की सेवा में न हो परिवीक्षा अवधि में, प्रथम वर्ष में पद का न्यूनतम वेतन और वेतन वृद्धियाँ जब वह देय होती हों, दी जायेगी

परन्तु यह कि यदि परिवीक्षा की [illegible] अवधि [illegible] कार्य न करने के कारण बढ़ाई जाती है तो बढ़ाई [illegible]

वृद्धि में नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में कोई अन्यथा आदेश न पारित करे।

भाग आठ

अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन 24. भर्ती के लिए, किसी भी ऐसी लिखित या मौखिक सिफारिश पर जो इस विनियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न हो, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अन्य उपायों द्वारा अपने अभ्यर्थन के लिये, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का, कोई प्रयास, उसे अनर्ह कर देगा।

राज्य की सुरक्षा 25. इस विनियमावली में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ राज्यपाल का यह समाधान हो जाये कि राज्य की सुरक्षा के हित में या आन्तरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल निगम के किसी अधिकारी या कर्मचारी का (चाहे वह स्थाई हो या अस्थाई) सेवाओं के बिना किसी जाँच के समाप्त करना समीचीन है और अधिकारी या कर्मचारी को पदच्युत करने या सेवा से हटाने का तद्नुसार निगम को निर्देश दे, तब निगम उसकी सेवाओं को इस प्रकार समाप्त कर देगा और ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को इस प्रकार सेवा समाप्त किये जाने के लिए प्रतिकर का कोई अधिकार नहीं होगा।

सेवा की शर्तों में शिथिलता 26. जहाँ निगम का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी विनियम के प्रवर्तन से, किसी विशिष्ट मामले में, अनुचित कठिनाई होती है वहाँ निगम, उस मामले में, प्रयोज्य विनियम में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस विनियम की उपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हे वह उस मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, राज्य सरकार की पूर्वानुमति से अभिमुक्त या शिथिल कर सकता है।

परिशिष्ट 'क'

(देखिये विनियम 5)

दुर्गम स्थान

जिला मुख्यालय/प्रधान कार्यालय क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्यालय		जनपद मुख्यालय/तहसील ब्लाक	
सुगम	दुर्गम	सुगम	दुर्गम
1. देहरादून			
2. हरिद्वार			1. चकराता (पुरोला)
3. नई टिहरी		1. चम्बा	1. देवप्रयाग
		2. मुनि की रेती	2. घनसाली (प्रतापनगर)
4. नैनीताल		1. हल्द्वानी	
		2. रामनगर	
5. उधमसिंह नगर		1. काशीपुर	
		2. रूद्रपुर	
6. अल्मोड़ा		1. रानीखेत (ताड़ीखेत)	1. भिकियासैण
7.	पौड़ी	1. श्रीनगर	
		2. कोटद्वार	
8.	उत्तरकाशी		
9.	चमोली	1. गोपेश्वर	
10.	रूद्रप्रयाग		
11.	पिथौरागढ़		1. डीडीहाट
			2. गंगोलीहाट
12.	बागेश्वर		
13.	चम्पावत		1. लोहाघाट

परिशिष्ट 'ख'

{ विनियम 4 (2) तथा विनियम 22 (2) देखिए}

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	9300–34800 + 4200 ग्रेड पे	133
2	कनिष्ठ अभियन्ता (वि0/यां0)	9300–34800 + 4200 ग्रेड पे	[illegible]
3	अपर सहायक अभियन्ता (सिविल)	9300–34800 + 4800 ग्रेड पे	[illegible]
4	अपर सहायक अभियन्ता (विद्युत / यॉंत्रिक)	9300–34800 + 4800 ग्रेड पे	51
	योग		602